


उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ

संख्या: 47207 / सी-5 / शासनाप - 515/2022 दिनांक 4/1/22

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 06 जनवरी, 2022 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 106 वीं बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1)(बी) के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में डेयरी फार्म को Orange Category एवं गौशाला को Green Category में अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।


(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1, 2, 3, 5, 6 एवं 7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नारंगी श्रेणी तथा हरी श्रेणी उद्योगों को संशोधित करने का कष्ट करें।
4. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचनाएं वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. गार्ड फाईल।


सदस्य सचिव